



## The Jharkhand Contingency Fund Act, 2001

Act 9 of 2001

**Keyword(s):**

Unforeseen Expenditure, Governor

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



# झारखण्ड राजट

असाधारण अंक  
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 ज्येष्ठ, 1923 शकाब्द

संख्या 106

रौची, शुक्रवार 25 मई, 2001

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

25 मई, 2001

संख्या-एल० जी०-०१/२००० लेज : ०९—झारखण्ड विधान मठन का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल १० अप्रैल, २००१ को अनुमति दे चुके हैं; इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,  
प्रशांत कुमार,  
संयुक्त सचिव,  
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, रौची।

झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001

[झारखण्ड अधिनियम ०९, २००१]

विहर पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के द्वारा झारखण्ड राज्य के गठन के फलस्वरूप झारखण्ड राज्य के अप्रत्याशित विधीयों को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि के गठन एवं अनुरक्षण हेतु अधिनियम।

प्रस्तावना :—कूँकि, केन्द्र सरकार द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत श्लेष झारखण्ड राज्य का गठन किया गया है।

और, कूँकि, यह व्यावश्यक है कि झारखण्ड राज्य में एक आकस्मिकता निधि के गठन एवं अनुरक्षण की व्यवस्था को जाए और उक्त निधि को झारखण्ड राज्यपाल के अधीन रखा जाए, राज्य विधायिका द्वारा विधिवत् विनियोग प्राप्तिकृत होने तक, राज्य में होने वाले अप्रत्याशित विधीय के लिए राज्यपाल द्वारा उक्त निधि से अग्रिम प्राप्तिकृत किया जा सकेगा,

और, कूँकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 के खण्ड-2 के द्वारा राज्य को विधायिका को विधिवत् इस प्रकार की निधि के गठन की शक्ति प्रदान की गई है,

और, चूंकि, सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भारतीय आकस्मिकता निधि का गठन जनहित में आवश्यक है,

श्री, चूंकि, भारतीय के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण भारतीय आकस्मिकता निधि का गठन करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है,

इसलिए भारत गणराज्य के बाबनवें वर्ष में भारतीय राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

#### - परिच्छेद :-

##### 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

(1) यह अधिनियम भारतीय आकस्मिकता विधि अधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

##### 2. निर्वचन-प्रब तक कि सदर्भ में अन्यथा घोषित न हो

इस अधिनियम में निधि से तात्पर्य है आरा-3 के द्वारा स्वापित भारतीय प्राकस्मिकता निधि,

इस अधिनियम में 'राज्य सरकार' से तात्पर्य है, भारतीय राज्य सरकार।

#### परिच्छेद-II

##### 3. भारतीय आकस्मिकता निधि की स्थापना :

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार भारतीय राज्य के लिए 'भारतीय प्राकस्मिकता निधि' नामक एक निधि की स्थापना करेगी जो भारतीय राज्यपाल के अधीन रखा जायेगा।

##### 4. राज्य की संचित निधि से 150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) को रकम की निकासी एवं भारतीय आकस्मिकता निधि में उमसका जमा किया जाना -

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार भारतीय राज्य की संचित निधि से एक सौ पचास करोड़ रुपये की रकम का निकासी करेगी और इसे निधि में जमा कर देगी।

##### 5. नियम बनाने की शक्तियाँ :—भारतीय राज्य सरकार विधि के अन्तर्गत भारतीय आकस्मिकता निधि नियमावली बना सकेगा।

##### 6. निरसन एवं व्यावृति—(1) भारतीय आकस्मिकता निधि ग्रन्थादेश, 2000 (भारतीय ग्रन्थादेश संख्या 1,2000) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने हुए भी उक्त ग्रन्थादेश के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया था, को गई समझी जायगे, मानो यह अधिनियम इस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसो कार्रवाई की गई थी।

भारतीय राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।